न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 79/2021 (जी.सी.एम.एस. 2021/196)

प्रार्थिया	बनाम	अप्रार्थीगण
1. सोमा बाई पुत्री ढोलाराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति कम्बोज निवासी 13 एफ एफ मानकसर तहसील श्रीकरणपुर।		1. कालू राम पुत्र ढोलाराम जाति कम्बोज निवासी 55 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. मुन्शीराम पुत्र ढोलाराम जाति कम्बोज निवासी 55 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 30.09.2021

उपस्थितः 1.श्री जसकरण गोदारा अधिवक्ता प्रार्थिया
2.श्री गुरदेव सिंह, गुरदयाल सिंह मल्ली अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2

--निर्णय-- दिनांकः 28.06.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 55 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 56/59 के मुरब्बा नम्बर 15,16 की कुल 2.372 हेक्टैयर नहरी भूमि में से प्रार्थिया की माता धन्नो देवी के नाम 1.695 हेक्टैयर, अप्रार्थी संख्या 1 कालूराम के नाम 0.338 हेक्टैयर, अप्रार्थी संख्या 2 मुन्शीराम के नाम 0.339 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थिया व अप्रार्थीगण की माता धन्नो देवी की मृत्यू दिनांक 04.08.2020 को हो चुकी है। प्रार्थिया एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 धन्नो देवी के प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिस है। इसलिए प्रार्थिया धन्नो देवी की आराजी में से विरास्तन 1/6 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थिया आज से 5 रोज पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिली और कहा कि हम अपनी माता धन्नो देवी के नाम दर्ज 1.695 हेक्टैयर भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवा लेवे तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थिया को धमकी देते हुए कहा कि हमने अपनी माता धन्नो देवी की आराजी की वसीयत करवा ली थी और उक्त आराजी का अपने नाम वसीयतन इन्तकाल दर्ज करवाकर भूमि किसी अन्य व्यक्ति का बेचान कर खुर्द बुर्द कर देगे। तुम्हे इस भूमि में से कुछ भी नहीं देगें तो प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को समझाया कि उक्त भूमि में मेरा हिस्सा बनता है। जिस कारण आप इस भूमि को किसी भी तरह से खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण नही कर सकते मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए। परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया की एक नहीं सुनी और साफ इन्कार हो गए। प्रार्थिया की माता ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कोई वसीयत तैयार तो करवाई है तो फर्जी व कूटरचित है और प्रार्थिया के अधिकारों पर बेअसर है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने मकसद में कामयाब हो गए तो प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप सम्भव नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थिया के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण मूलवाद के निस्तारण तक चक 55 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 56/59 के मुरब्बा नम्बर 15,16 की कुल 2.372 हेक्टैयर नहरी भूमि को रहन, बैय, वसीयत करने से बाज व ममनू रहे एंव मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार चक 55 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

A2/2
79
21

48/37 के मुरब्बा नम्बर 15, 16 की कुल 2.372 हेक्टैयर कृषि भूमि में अप्रार्थीगण की बहिने विमला बाई, शिमला बाई, कमला बाई, सोमा बाई प्रत्येक 1/7-1/7 हिस्सा की सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित थी। जिनकी माता धन्नो बाई थी, चारो पुत्रियों ने दिनांक 04.03.2014 को अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने-अपने हिस्सा की पंजीकृत दस्तबरदारी सहहिस्सेदार अपनी माता धन्नो बाई पत्नी ढोला राम जाति कम्बोज के हक में करवाकर कब्जा धन्नो बाई अपनी माता को सौप दिया। उसके बाद धन्नो बाई ने अपना तमाम हिस्सा वसीयत बहक कालूराम, मुंशीराम पिसरान ढोलाराम के हक में दिनांक 03.04.2014 को नोटेरी के समक्ष तस्दीक करवा दिया। वादिया व हम अप्रार्थीगण की माता धन्नो देवी की मृत्यू दिनांक 04.08.2020 को हो चुकी है। धन्नो देवी की मृत्यू के पश्चात मुताबिक वसीयत हम अप्रार्थीगण विवादित भूमि के हकदार बन चुके है। इस प्रकार वादिया विवादित भूमि में कोई भी हिस्सा पाने की अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वादिया ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय के समक्ष वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। मुताबिक दस्तबरदारी व वसीयत सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला बहक हम अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। उस पर मनन किया, गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन कर हम प्रकरण को निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर निर्णीत करना विधिसंगत समझते है:-

1.प्रथम दृष्टया मामला:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार हैं। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि चक 55 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 56/59 के मुरब्बा नम्बर 15,16 की कुल 2.372 हेक्टैयर नहरी भूमि में से प्रार्थिया की माता धन्नो देवी के नाम 1.695 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादिया व हम अप्रार्थीगण की माता धन्नो देवी की मृत्यू दिनांक 04.08.2020 को हो चुकी है। उक्त भूमि मे से प्रार्थिया 1/6 हिस्सा विरास्तन प्राप्त करने की हकदार है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा उक्त भूमि की फर्जी व कूटरचित वसीयत तैयार करवा रखी है। जो प्रार्थिया के अधिकारो पर बेअसर है। यदि अप्रार्थीगण फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवा लेगे तो प्रार्थिया को अपने हिस्सा से महरूम होना पडेगा। मुझ प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्व उक्त कृषि भूमि के संबध में ताफैसला वाद रिकॉर्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा कथन किये गये कि चक 55 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 48/37 के मुरब्बा नम्बर 15, 16 की कुल 2.372 हेक्टैयर कृषि भूमि में अप्रार्थीगण की बहिने विमला बाई, शिमला बाई, कमला बाई, सोमा बाई प्रत्येक 1/7-1/7 हिस्सा की सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित थी। जिनकी माता धन्नो बाई थी, चारो पुत्रियों ने दिनांक 04.03.2014 को अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने-अपने हिस्सा की पंजीकृत दस्तबरदारी सहहिस्सेदार अपनी माता धन्नो बाई पत्नी ढोला राम जाति कम्बोज के हक में करवाकर कब्जा धन्नो बाई अपनी माता को सौप दिया। उसके बाद धन्नो बाई ने अपना तमाम हिस्सा वसीयत बहक कालूराम, मुंशीराम पिसरान ढोलाराम के हक में दिनांक 04.03.2014 को नोटेरी के समक्ष तस्दीक करवा दिया। वादिया व हम अप्रार्थीगण की माता धन्नो देवी की मृत्यू दिनांक 04.08.2020 को हो चुकी है। धन्नो देवी की मृत्यू के पश्चात मुताबिक वसीयत हम अप्रार्थीगण विवादित भूमि के हकदार बन चुके है। इस प्रकार वादिया विवादित भूमि में कोई भी हिस्सा पाने की अधिकारी नहीं है। वादिया ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

A2/3
79/21

समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं हैं। जिसे खारिज फरमाया जावे। लिहाजा प्रार्थिया द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना हक 1/7 हिस्सा अपनी माता धन्नो देवी पत्नी ढोलाराम को दिनांक 04.03.2014 पंजीकृत दस्तबरदारी से छोड दिया है और धन्नो बाई ने अपना तमाम हिस्सा जरिए वसीयत बहक कालूराम, मुंशीराम पिसरान ढोलाराम के हक में दिनांक 04.03.2014 को नोटेरी के समक्ष तस्दीक करवा दिया। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2.सुविधा का संतुलनः- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। प्रार्थिया द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना हक 1/7 हिस्सा अपनी माता धन्नो देवी पत्नी ढोलाराम को दिनांक 04.03.2014 को पंजीकृत दस्तबरदारी से छोड दिया था, और धन्नो बाई ने अपना तमाम हिस्सा जरिए वसीयत कालूराम, मुंशीराम पिसरान ढोलाराम के हक में दिनांक 04.03.2014 को निष्पादित करवा दिया था। लिहाजा प्रार्थिया सुविधा के संतुलन को भी अपने पक्ष में साबित करने पूर्णतया असफल रही है।

3.अपूरणीय क्षतिः- चूंकि पूर्व विवेचित दोनो बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दू प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में अस्थायी व्यादेश दिया जाता तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थिया अपने के पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थिया अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थिया को स्वीकार किया जाना विधिसंगत नहीं समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर